न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

159

प्रकरण क्रमांक निगरानी 433—दो/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10—03—2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 195/अपील/2009—10.

....

1—श्रीमती शशि पत्नि जीतेन्द्र पुत्री स्व0
पोखनलाल ब्राहम्ण निवासी ग्राम जौनार
हाल निवासी विलगांव तहसील जौरा
जिला मुरैना म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—रामेश्वर 2— रामविलास
3—लक्ष्मण 4— अशोक पुत्रगण स्व0
पोखनलाल ब्राहम्ण निवासी ग्राम जौनार
तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0

———अनावेदकगण

5—श्रीमती सोनी बाई पनत्नी सियाराम पुत्री
स्व0 पोखनलाल ब्राहम्ण निवासी ग्राम जेवरा
खेरा तहसील व जिला मुरैना म0प्र0
6—श्रीमती रामकली पत्नी रामकिशन पुत्री
स्व0 पोखनलाल ब्राहम्ण निवासी ग्राम जेवरा
खेरा तहसील व जिला मुरैना म0प्र0
7—श्रीमती जलदेवी पत्नी बनवारी पुत्री स्व0
पोखनलाल ब्राहम्ण निवासी ग्राम जौनार
तहसील जौरा जिला मुरैना म0प्र0

——— तरतीवी/अनावेदकगण

....

श्री एस0 के0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री जगदीश श्रीवास्तव अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 29/01/2018 को पारित

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–03–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जौनार स्थित भूमि सर्वे कमांक 60, 61, 63, 303, 7, 62, 141, 216, 284, 398, 407, 412 कुल किता 12 कुल रकबा 7.30 है0 तथा ग्राम गढ़ेरा की भूमि सर्वे कमांक 87, 88, 89 कुल किता 3 रकवा 1.03 हैक्टर के पोखनलाल ब्राहम्ण भूमिस्वामी थे जिनकी मृत्यु उपरांत वारिसान का नामांतरण किये जाने हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव कमांक 6 दिनांक 31.7.08 से कार्यवाही प्रारंभ हुई किन्तु रामेश्वर, रामनिवास, लक्ष्मण, अशोक पुत्रगण पोखनलाल ने बसीयतनामा प्रस्तुत कर स्वयं का नामांतरण करने की मांग की एवं दूसरा आवेदन 8 वारिसान की ओर से प्रस्तुत कर सभी का नामांतरण करने की मांग की गई। मामला विवादित होने पर पटवारी हल्का नंबर 25/1 ने प्रतिवेदन तहसीलदार जौरा को प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार जौरा ने प्रकरण कमांक 18/2007–08/अ–6 पंजीबद्व किया तथा हितबद्वों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 13.11.09 पारित किया जाकर बसीयत के आधार पर रामेश्वर, रामनिवास, लक्ष्मण, अशोक कुमार पुत्रगण स्व0 पोखनलाल का नामांतरण कर दिया। इससे दुखित होकर श्रीमती शशि पुत्री स्व0 पोखनलाल ब्राहम्ण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष प्रस्तुत की जो न्यायालय द्वारा अस्वीकार की गई । इसी से परिवेदित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 10.3.2011 को अस्वीकार की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय में साक्ष्य की कोई विचेना नहीं की गई वगैर साक्ष्य की न्यायिक विवेचना के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। उनके द्वारा आगे अपने तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि स्वर्गीय

पोखनलाल की स्वअर्जित संपत्ति नहीं थी। पैत्रिक संपत्ति है जिसके संबंध में आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नकल प्रस्तुत की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है। तर्क में यह भी कहा है कि स्व0 पोखनलाल को पैत्रिक संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार नहीं है किन्तु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मात्र अपने हिस्से की संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार दिया गया है। इस कानूनी बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और विधि प्रावधानों के विरूद्व आदेश पारित करने में त्रुढि की गई है। साक्ष्य अधिनियम 68 में वसीयत को प्रमाणित करने के दिये गये प्रावधान के अनुसार वसीयत को प्रमाणित नहीं किया गया है तथा शेष नैसर्गिक वारिसान को अकारण उत्तराधिकार से वंचित किया गया हैं, इस बिन्दु पर कोई विचार न करने की भूल की गई है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि स्व0 पोखनलाल की आयु 98 वर्ष वसीयत में अंकित की गई है मृतक को लगवा से पीड़ित बताया गया तथा चलने फिरने में तथा बोलने में असमर्थ थे, दिनांक 17.1.08 करना बताया गया तथा उनकी मृत्यु 18.1.08 को हो जाती हैं जो वसीयत को शंकास्पद बना देती है। बसीयत को नोटरी द्वारा कराया गया है। उनके द्वारा उप रजिस्टार के कार्यालय से रजि0 नहीं कराया गया है। इन परिस्थितियों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। अपने तर्क में यह भी तर्क किया गया है कि कानून में वंचित एवं पिता की संपत्ति में लड़कियों को बराबर का हिस्सा प्रदान किया गया है। कानून की मंशा को विफल करने के उदद्श्य से यह कथित वसीयत पोखनलाल की मृत्यु के पश्चात फंर्जी रूप से तैयार की गई है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जावे एवं आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किये गये है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश है विधि प्रावधानों से उचित एवं सही है। उनके द्वारा कहा गया है कि

आवेदिका की निगरानी सारहीन होने से बलहीन है। इसे निरस्त किया जावे। तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम जौनार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 60, 61, 63, 303, 7, 62, 141, 216, 284, 398, 407, 412 कुल किता 12 कुल रकबा 7.30 है0 तथा ग्राम गढ़ेरा की भूमि सर्वे कमांक 87, 88, 89 कुल किता 3 रकवा 1.03 हैक्टर के पोखनलाल ब्राहम्ण भूमिस्वामी थे जिनकी मृत्यु उपरांत वारिसान का नामांतरण किये जाने हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव कमांक 6 दिनांक 31.7.08 प्रकरण विवादित हो जाने के कारण तहसीलदार ने तदाशय प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया जब तहसीलदार ने बसीयत की जांच व पुष्टिकरण ली, बसीयत प्रमाणित पाई गई और बसीयत के प्रमाणित पाये जाने के आधार पर बसीयत ग्रहीताओं का नामांतरण आदेश पारित किया गया जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 10.9.10 द्वारा की गई है। अनुविभागकीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा भी स्थिर रखा गया है।

6– जहां तक आवेदिका द्वारा पैत्रिक संपत्ति होने एवं उत्तराधिकारिता के आधार मांगेगये स्वत्व के बिन्दु के निराकरण का प्रश्न है एवं बसीयत सही अथवा गलत है, के तथ्यों की जांच का प्रश्न है, राजस्व न्यायालय न तो स्वत्व के प्रश्न का निराकरण करने हेतु सक्षम है ओर न बसीयत को मिथ्या घोषित करने की अधिकारिता रखता हैं। **महेन्द्र नाथ बनाम तेजाबई 1986 राजस्व निर्णय 211 माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि पूर्व अर्जित बैध सवत्वों की घोषणा हेतु विविल दावा ही उपचार है 1984 राजस्व निर्णय 5 एवं 1984 राजस्व निर्णय 365 पैरा 5/7 के न्यायिक दृष्टांत है कि '' किसी दस्तावेज की बैधता या अवैधता अथवा दस्तावेज को रदद् करने की अधिकारिता केवल व्यवहार न्यायालय को है''**। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है । 1986 राजस्व निर्णय 94 एवं 2005 राजस्व निर्णय 212/5 सुक्कन तथा अन्य विरूद्व हरीराम एवं अन्य के न्याय दृष्टांत है कि दो अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती अर्थात एक ही प्रकार के हो तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 195/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 10.3.2011 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर